न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

29 / 2022

श्री अब्दुल मजीद खां सेवानिवृत प्रधानाचार्य मोहल्ला मोती बाग पायगाह टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी टोंक जिला–टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक **1.08.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 23–06–2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :–

मलका सआादत जमानी बेगम पत्नि नवाब सआदत अली खां मेरी सगी बुआ थी। उन्हे कोष कार्यालय टोंक से प्रति माह खानदानी पेन्शन 500 रु दी जाती थी पेंशन से सम्बधित निम्न प्रपत्रों की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि मुझे सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

1 दिनांक 22.07.1968 का पुनर्विवाह नहीं होने का प्रमाण–पत्र।
2 दिनांक 22.07.1968 का जीवित होने का प्रमाण–पत्र।
3 दिनांक 28.04.1969 की कार्यालय टिप्पणी।
4 दिनांक 29.04.1969 की कार्यालय टिप्पणी।
5 दिनांक 4.6.1973 का पुनर्विवाह नही होने का प्रमाण–पत्र।
6 दिनांक 8.8.1978 की माह जून 1978 की पेन्शन प्राप्ति की रसीद।
7 दिनांक 7.4.1978 की मा[illegible] की रसीद।
8 माह अप्रेल 1979 की पेन्शन का भु[illegible] अब्दुल सईद खां को करने का सहमति पत्र।
9 माह अप्रेल एवं मई 1979 [illegible] कार्यालय टिप्पणी।
10 दिनांक 4.5.1979 का [illegible] होने का प्रमा[illegible]त्र।
11 दिनांक 5.5.1979 का [illegible]
12 माह सितम्बर 1979 का [illegible]।
13 माह अप्रेल 1980 की पेन्शन प्राप्ति की र[illegible]।
14 माह नवम्बर 1980 की पेन्शन प्राप्ति की रशीद।
15 माह फरवरी 1981 की पेन्शन प्राप्ति की रशीद।
16 दिनांक 2.1.1984 का पुनर्विवाह नहीं होने का प्रमाण–पत्र।
17 दिनांक 3.12.1987 का श्री अब्दुल सईद खा को एजेन्ट बनाने का सहमति–पत्र।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:30:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

18 दिनांक 7.6.1990 का वाषिक सत्यापन के सम्बंध में प्रार्थना–पत्र।
19 दिनाक 4.8.1992 का आय एवं आयकर सम्बधी प्रमाण–पत्र।
20 माह अप्रेल 1962 का पेन्शन सम्बन्धी TY- 59 फार्म।

मलका सआादत जमानी बेगम का पी.पी.ओं. क्रमांक 721 (R) है।

अतः मुझे उपरोक्त 20 दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि सूचना के अधिकार के तहत दिलवानें का कष्ट करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि मे सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक जिला–टोंक को पत्र किमांक 707 दिनांक 12.7.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक ने पत्र कमांकः 83 दिनांक 18–07–2022 से जवाब प्रेषित किया है कि आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन कर श्रीमति सआदत जमानी बैगम पत्नि श्री नवाब सआदत अली खां को अपनी बुआ बताते हुए उनकी पत्रावली की सूचना चाही गई थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 के अन्तर्गत उक्त सूचना आवेदक से सम्बधित नही होने एवं ना ही जनहित से संबंधित होने के कारण देय नही है। इस बावत अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 72 दिनांक 06.07.2022 से सूचित किया जा चुका है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
अपीलीय अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:30:04 IST
Reason: SelfAttested